न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2021/225
दायरा तिथि : 15.09.2021
आदेश तिथि : 12-09-22

प्रार्थी :–
रमजान अली पुत्र सुबहान अली
जाति मुसलमान निवासी बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. लीलादेवी पत्नी भीमाराम जाति कुम्हार निवासी कागडी
2 घीसाराम पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी कागडी
3 आइदानसिंह पुत्र सवाईसिंह
4. खीमसिंह पुत्र नवलदान
5. गणपतसिंह पुत्र सवाईसिंह
6. प्रतापसिंह पुत्र नवलदान
7. बदीसिंह पुत्र नवलदान
8 सोहनकंवर पत्नी सवाईसिंह जातिगण चारण निवासीगण कागडी तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 12-09-22

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा ग्राम कागडी पटवार हल्का, धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 62 रकबा 1.2700 हैक्टर किस्म नहरी दोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम कागडी पटवार हल्का, धणी के खसरा नंबर 56 रकबा 0.39 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नंबर 57 रकबा 0.2525 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल व खसरा नंबर 60 रकबा 2.71 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल मेंसे नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/196 दिनांक 28.01.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम कागडी पटवार तहसील बाली के खसरा नंबर 62 रकबा 1.2700 हैक्टर किस्म नहरी दोयम प्रार्थी श्री रमजान अली पुत्र सुबहान अली जाति मुसलमान निवासी बाली के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है व खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा वर्तमान में आवेदक ख.नं. 60, 57, 56, 55 में से ही आवागमन करता है।

2. प्रार्थी के द्वारा धारा 251 ए के रास्ता के ख.नं. 56, 57 व 60 में से चाहा गया है।

3 यह कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	56	0.39	न.अ.	84X5=420 वर्गमीटर	लीलादेवी पत्नी भीमाराम जाति कुम्हार
2	57/3	0.2525	न.अ.	76X5=380 वर्गमीटर	घीसाराम पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार
3	60	2.71	न.अ.	80X5=400 वर्गमीटर	1. आइदानसिंह पुत्र सवाईसिंह हि. 1/12 2. खीमसिंह पुत्र नवलदान हि. 1/4 3. गणपतसिंह पुत्र सवाईसिंह हि. 1/12 4. प्रतापसिंह पुत्र नवलदान हि. 1/4 5. बद्रीसिंह पुत्र नवलदान हि. 1/4 6. सोहनकंवर पत्नी सवाईसिंह हि. 1/12 जातिगण चारण

उपखण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2021/225
अनवान रमजान अली बनाम लीलादेवी वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

4. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम कागडी की डी.एल.सी. दर 104760/–रूपये प्रति हैक्टर हैं।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में मौके पर कोई भी निर्मित संरचना नहीं हैं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति हैं। अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी।

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण लीलादेवी, घीसाराम, आइदानसिंह, खीमसिंह, प्रतापसिंह, बद्रीसिंह बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहे है तथा अप्रार्थी गणपतसिंह व सोहनकंवर को रजिस्टर्ड डाक से जारी नोटिस का Item Delivery Confirmed का तामीली स्टेटस प्राप्त होने के बावजूद वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहे है। लिहाजा उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम ग्राम कागडी पटवार हल्का, धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 62 रकबा 1.2700 हैक्टर किस्म नहरी दोयम की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/196 दिनांक 28.01..2022 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया है। धारा 251(ए) के तहत निकटतम रूट से रास्ता दिये जाने के प्रावधान हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम कागडी पटवार हल्का, धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 62 रकबा 1.2700 हैक्टर किस्म नहरी दोयम में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि **ग्राम** कागडी पटवार हल्का, धणी के खसरा नंबर 56 रकबा 0.39 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नंबर 57/3 रकबा 0.2525 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल व खसरा नंबर 60 रकबा 2.71 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल **मेंसे 420+380+400=1200 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार व अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

ख.न.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल	डीएलसी दर 104760/–रूपये प्रति हैक्टर की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी)	नाम खातेदार
56	0.39	84X5=420 वर्गमीटर	10.48	4402X2=8804	लीलादेवी पत्नी भीमाराम जाति कुम्हार
57/3	0.2525	76X5=380 वर्गमीटर	10.48	3982x2=7964	घीसाराम पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार
60	2.71	80X5=400 वर्गमीटर	10.48	4192X2=8384	1. आइदानसिंह पुत्र सवाईसिंह हि. 1/12 2. खीमसिंह पुत्र नवलदान हि. 1/4 3. गणपतसिंह पुत्र सवाईसिंह हि. 1/12 4. प्रतापसिंह पुत्र नवलदान हि. 1/4 5. बद्रीसिंह पुत्र नवलदान हि. 1/4 6. सोहनकंवर पत्नी सवाईसिंह हि. 1/12 जातिगण चारण
				कुल राशि 25152/–रूपये	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार... उपखण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2021/225

अनवान रमजान अली बनाम लीलादेवी वगैरा

<u>अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

प्रस्तावित रास्ता में निजी खातेदार की प्रतिकर राशि **25152 (अक्षरे पच्चीस हजार एक सौ बावन रूपये मात्र)** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी।

तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 खुडाला द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

क्रमॉक / कोर्ट / 2022 / 3375-79 — दिनांक : 12-09-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3. पटवारी हल्का, बाली
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री रमजान अली पुत्र सुबहान अली जाति मुसलमान निवासी बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner